THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(M.P. Government Undertaking)
"Panchanan Bhawan", 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal – 462003
Phone : 0755-2556857   Email : mpagrohobpl@gmail.com

मुख्या/आरसीओ/उद्यान/2025–26/**3608**   भोपाल, दिनांक **20.00.2026**

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिये
फल पौधों (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (RCO)

ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की निर्धारित दिनांक 12.02.2026 अपरान्ह 3.00 तक

प्री–बिड मीटिंग की निर्धारित दिनांक 29.01.2026 अपरान्ह 3.00 तक

प्रबंधक (उद्यान)

मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
email - mpagrohobpl@gmail.com website : mpagro.org

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2025–26/**3608** भोपाल, दिनांक **20.01.2026**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिये निम्नानुसार सामग्रियों हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
1	फल पौधों (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु	रू 11,800/–	रू 2,00,000/–

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 12.02.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी https://mpagro.org and www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। आरसीओ में भाग लिये जाने हेतु www.mptenders.gov.in का ही उपयोग किया जा सकेगा। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)

मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305
email - mpagrohobpl@gmail.com website : mpagro.org

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.) पौधों (कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ठ क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	विभिन्न स्थानों पर शब्दों का अर्थ	—	4
2	डिस्क्लेमर	परिशिष्ठ 1	5
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1	5
4	ऑफरकर्ता को निर्देश	परिशिष्ठ 1	5
5	आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	परिशिष्ठ 1	6
6	ऑफर की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	7—12
7	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ठ 3	13
8	पौधों के मापदण्ड	परिशिष्ठ 4	14—18
9	ऑफरकर्ता की अर्हता के संबंध में	परिशिष्ठ 5	19
10	ऑफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप (राशि रू. 1000/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ठ 6 एवं 6 (अ)	20—21
11	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रू. 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ठ 7	22
12	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 8	23
13	वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन प्रस्तुत किया जाना है)	परिशिष्ठ 9	24—30
14	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ठ 10	31

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार हैः—

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
नर्सरी धारक	जिनकी स्वयं की नर्सरी हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई धरोहर राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरूद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/ शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक
वेबसाइट	www.mptenders.gov.in
निगम की वेबसाइट	mpagro.org

परिशिष्ट 1

1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह प्री–बिड मीटिंग दिनांक 29.01.2026 को सायं 3 बजे तक ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा कार्यालयीन प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत अथवा निर्णय दिनांक 02.02.2026 को सायं 5.00 बजें www.mptenders.gov.in एवं http://mpagro.org पर अपलोड किया जाएगा ।

दिनांक 29.01.2026 को सायं 3.00 बजें के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तो तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है ।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदान सामग्री का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है, साथ ही निगम के स्वयं के व्यवसायिक गतिविधियां करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं ''**निर्धारित समय सीमा**'' में करना आवश्यक होगा ।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एंव इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

3.2 रेट कान्ट्रेट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.जी अथवा पी.डी.एफ फार्मेट में अपलोड करे। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।

3.3 ऑफरकर्ता द्वारा वेबसाईट पर अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों ।

3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएगें।

3.8 प्रदायक द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर क्रय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोटः– **ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का कोई विवाद, वाद, न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।**

2. आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

क्रं	विवरण	दिनांक एवं समय सारणी
1	ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 11,800.00
2	आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.02.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
3	संकल्प धन राशि (EMD)	200000/– (दो लाख मात्र)
4	ऑनलाइन आरसीओ वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 12.02.2026 अपरान्ह् 3.00 बजे तक
5	प्री–बिड मीटिंग	दिनांक 29.01.2026 अपरान्ह 3.00 बजे एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में प्रबंधक (उद्यान) के कक्ष में होगी ।
6	आरसीओ में सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 29.01.2026 सायं 3.00 बजे
7	प्री–बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निणर्य की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	समिति के निर्णय के कार्यालयीन आधिकारिक प्रक्रिया उपरांत जानकारी अपलोड की जावेगी।
8	ऑनलाइन तकनीकी बिड के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नही किया जाएगा)	दिनांक 12.02.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक
9	उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय बिड को खोला जाना	तकनीकी बिड की कार्यालयीन प्रकिया के पूर्ण होने के पश्चात सूचना निगम की वेबसाईट mpagro.org एंव mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में बेवसाईट पर समय–समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति से अवगत हों।

उद्देश्य– शासन के विभिन्न योजना अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के सामग्री उचित एवं न्यूनतम मूल्य पर प्रदेश के कृषकों/विभाग को सही समय पर उपलब्ध होवे।

परिशिष्ट 2

ऑफर की सामान्य शर्ते

वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. **ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता**

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट कमांक 3** अनुसार रहेंगी।

2. **आर.सी.ओ प्रपत्र का कय**– रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नही) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. **प्री–बिड मीटिंग**– रेट कांट्रेक्ट आफर के अनुसार दिनांक 29.01.2026 को निगम मुख्यालय में महाप्रबंधक (लेखा) के कक्ष में अथवा मेजनाईन तल पर आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव दिनांक नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री–बिड मीटिंग के उपरांत रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे ।

4. **ऑफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

4.1 वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

4.2 एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

4.3 **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे ।**

4.4 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट– निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा ।

4.5 **स्टार्टअप के लिए प्रावधान**–

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.6 **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान**–
भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों **को** पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.7 **सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान**–
मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी।
पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

5. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एंव दर वैधता**

5.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 9 अनुसार दी जाना आवश्यक है।

5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त क्रमांक 21** के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैद्यता को** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, **बढाया जा सकता है।**

5.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनो में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा ।

6. **सेंपल प्रस्तुत किये जाना :**

सेम्पल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सेम्पल लिये जा सकेगे। आरसीओ में वांछित दस्तावेज आनलाईन प्रस्तुत नही किये जाने दशा मे आफर अमान्य किया जाएगा।

7. **संकल्प धन राशि (EMD) :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रू. 2,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

7.1 सुरक्षा धन राशि– ऑफरकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि/संकल्प धन राशि सफल निविदा होने पर सुरक्षा धन राशि में परिवर्तित हो जावेगी। **MSME अंतर्गत छूट प्राप्त ऑफरकर्ताओं को अनुबंध के समय राशि रू. 2.00 लाख निगम में जमा करना अनिर्वाय रहेगा**, जो आरसीओ की समाप्ति तक अथवा अनुबंध की प्रभावशीलता लागू रहने तक जमा रहेगी।

8.संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

8.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।

8.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।

8.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।

8.4 निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

8.5 एक फर्म/ऑफरकर्ता द्वारा mptenders.gov.in पर एक से अधिक ऑफर दिये जाने की दशा में।

9. **धरोहर राशि :**

9.1 आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास आरसीओ की समाप्ति तक अथवा अनुबंध की प्रभावशीलता लागू रहने तक जमा रहेगी।

9.2 अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होनें की दशा में एवं समस्त भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा फर्म के लेटरहेड पर आवेदन में आरसीओ क्रं ... दिनांक ....उल्लेख करते हुए मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

9.3 धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(**क**) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर एवं प्रदाय आदेश उपरांत प्रदायगी से मना किये जाने पर

(**ख**) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में

(**ग**) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(घ) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. भुगतान पश्चात भुगतान

विदित हो कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग अथवा अन्य विभाग के योजनांतर्गत आरसीओ में वर्णित सामग्री की प्रदायगी हेतु राशि निगम को प्राप्त होती है। प्रदायक द्वारा प्रदाय किये जाने पश्चात जारी देयक का भुगतान निगम द्वारा विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत किया जा सकेगा। अतः **भुगतान पश्चात भुगतान का अर्थ विभाग की योजनांतर्गत विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने पर प्रदायक को भुगतान किया जा सकेगा।**

12. अनुबंध का निष्पादन–

12.1 जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 6 एवं 6 (अ)) के अनुसार राशि रूपये 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

12.2 आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।

12.3 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। **दरों की वैद्यता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढाया जा सकता है।**

12.4 निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।**

12.5 अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंवे।

13. दरें स्वीकार की जाना :

13.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।

13.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। ऐसे आफरकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नही है, को "प्रतिप्रस्तावित दरों के बाबत सूचना निगम हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी अथवा प्रतिप्रस्तावित दर मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. प्रदाय की प्रकिया –

14.1 प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय, प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

14.2 वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य क्रेता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

14.3 सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा शिकायत का निराकरण किया जाना होगा। उपयोगकर्ता अर्थात अंतिम उपभोक्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जावेगी।

15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा।

16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)

16.1 प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय–सीमा बढ़ाई भी जा सकती है ।

16.2आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

16.3प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवें सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जानें वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

17. आदेश की प्रकिया :

17.1आदेश जारी करने के लिए अधिकृत – क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय।

17.2सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नही किया जाएगा।

17.3निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा । निगम द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री गंतव्य स्थल पर पहॅुचानी होगी।

17.4परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। अतः प्रदायक से आशा की जाती है कि वे उपयुक्त बीमा करा लेंगे।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड, पैकिग, संख्या, मात्रा एवं समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

18.1उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

18.2निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट के नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

19. भुगतान :

निगम द्वारा ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय स्तर से/निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

19.1प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के

अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस में किया जावेगा ।

19.2 देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षयुक्त संतुष्टि प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

19.3 यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

20. **क्रय प्राथमिकता**

भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रं 23.1 अन्तर्गत उल्लेखित नियम 31 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्रियों या उत्पादों की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी, उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे :–

20.1 यदि एल–1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल–1+15 प्रतिशत की सीमा में दर प्रस्तुत की गई है, को एल–1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी।

20.2 यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल–1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों/उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जायेगी।

20.3 प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल–1, दर पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय एल–1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जायेगा।

20.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वमित्य वाले उद्यमियाँ के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा/टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल–1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

20.5 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उधमी में खरीद के लिए उपार्जन 25% मै से 3%) किया जायेगा। उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व–सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जायेगी।

पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

21. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक अथवा आरसीओ के समाप्त होने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

22. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली–भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

23. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षों तक के

लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

24. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय–सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।

25. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य–दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेगे।

26. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मात्र भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

26.1 यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त ऑर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।

27. निगम के प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुबंध निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रबन्धक (उद्यान)

परिशिष्ट 3

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है

कमांक	विवरण	हस्ताक्षर सहित अपलोड किये गए दस्तावेज का पृष्ठ कं
1	नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत नर्सरी के वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा स्टार रेटेड नर्सरी के वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति।	
2	**काजू पौधों हेतु**– नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत नर्सरी के वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा स्टार रेटेड नर्सरी के वैध पंजीयन की स्व प्रमाणित प्रति अथवा काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा जारी नर्सरी प्रत्यायन प्रमाण पत्र	
3	रोपणी/नर्सरी की विस्तृत जानकारी (प्रत्येक रोपणी/नर्सरी हेतु अलग अलग जानकारी प्रजातिवार मातृवक्षों की संख्या सहित प्रस्तुत की जाए)	
3	नर्सरी में उपलब्ध पौधों का विवरण एवं संख्या की स्व प्रमाणित प्रति जो रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा सकेगे	
4	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)	
5	आन लाईन राशि जमा करते हुए रसीद अपलोड किया जाना होगा	
6	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट–7 के अनुसार राशि रू 500/– के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग /घोषणा पत्र	
7	मध्यप्रदेश फल–पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत 2012 के प्रावधानानुसार लायसेंस की स्व–प्रमाणित प्रति	
8	स्टार्टअप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य हेतु दस्तावेज	
9	परिशिष्ट–5 में उल्लेखित अर्हता अनुसार	
10	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने की दशा में Article of Association अपलोड किया जाना होगा	
11	पार्टनरशिप कंपनी होने की दशा में Partnership Deed अपलोड किया जाना होगा	
12	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (यदि आरसीओ में प्रोपराइटर/पार्टनर/ड्रायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षर नहीं है) तो परिशिष्ट–10	

वित्तीय आफर –

परिशिष्ट कमांक 9 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर मात्र mptenders.gov.in वेबसाईट पर ही आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

परिशिष्ठ क्रमांक 4

पौधों के मापदण्ड

इस आर सी ओं के अन्तर्गत निम्नानुसार फल पौध वांछित है :

1. फल पौध (अस्थानीय/ Exotic उच्च मूल्य हेतु)

क्र	फलपौध (ग्राफ्टेड/कटिंग/बडिंग)	वांछित प्रजाति
1.	संतरा ग्राफटेड/(बडेड) बन्डल/पालीथिन	नागपुरी, किन्नो
2	मौसम्बी ग्राफटेड/(बडेड) बन्डल/पालीथिन	न्यूसेलर, पूना
3.	अनार (गूटी)	गणेश, अरक्ता, भगवा
4	चीकू (ग्राफ्टेड)	कालीपत्ती, पी.के.एम.1, सी.ओ.1, सीओ.2, क्रिकेट बॉल,
5	बेर (बडेड)	उमरान, बनारसी, गोला, एप्पल
6	नीबू (गूटी)/बडेड	कागजी, सीडलेस,
7	अंगूर (गूटी/कंटिंग)	पूसा सीडलेस, थामसन सीडलेस, गणेश, चेम्पियन, ब्लेकग्रफ
8	आंवला ग्राफटेड/(बडेड)	कंचन, चकैया, नरेन्द्र सीरीज, कृष्णा
9	आम (ग्राफ्टेड)	दशहरा, लंगडा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, बाम्बे ग्रीन, केसर, हिमसागर
10	अमरूद (ग्राफ्टेड/बडेड)	एल–49, इलाहबादी सफेदा, ललित, श्वेता, सरदार, थाई ग्वावा
11	सीताफल (ग्राफ्टेड)	बालानगर
12	कटहल (ग्राफ्टेड)	रूद्राक्ष
13	काजू	बी 4 एवं बी 7
14	अंजीर कटिंग	
15	ड्रेगन फ्रुट कटिंग	
16	पेशन फ्रुट कटिंग	
17	करोंदा	
18	हनुमान फल (ग्राफ्टेड)	
19	बेल	
20	स्ट्राबेरी पौधा 9" से 112 "	
21	नाशपाती ग्राफटेड/बडेड	
22	अंगूर ग्राफटेड/बडेड	
23	स्ट्राबेरी कटिंग	
24	अवेकडो	

2. कलमी पौधे (फल पौध/ वानिकी/शोभायमान)

सामग्री के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

क्र.	पौध	निर्धारित मापदण्ड
1	संतरा ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम, जम्बेरी रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 3 फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन का निचला भाग साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
2	मौसम्बी (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 3 फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन का निचला भाग साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
3	अनार (गुटी)	पौधा बीमारी रहित 1 से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । गूटी पद्धिति तैयार किया गया पौधा मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
4	चीकू (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 1 से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफट के ऊपर 1 से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये।
5	बेर (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 2 से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफ्ट के ऊपर 1 से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
6	नीबू (कागजी) (गूटी)	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ उचाई फिट होना आवश्यक है। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
7	अंगूर (कटिंग)	बीमारी रहित 9 से 10 इंच लम्बाई की कटिंग उसमें पत्तियों सहित होना आवश्यक है । बीजू पौधा भी मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
8	आंवला ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन का निचला भाग साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
9	आम ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 6x8 इंच होना चाहिये ।
10	अमरूद ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 2 से 3½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उचाई 10 से

		15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
11	सीताफल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
12	कटहल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की ऊंचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
13	काजू (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से ऊंचाई 2 से 3 फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी. ग्राफट से सायन की ऊंचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
14	अंजीर कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
15	ड्रेगन फ्रुट कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की उंचाई 1 से 1½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 2 से 3 से मी.। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये।
16	पेशन फ्रुट कटिंग	पौधा बीमारी रहित, पौधे की उंचाई 1 से 1½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 2 से 3 से मी.। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये।
17	हनुमान फल (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
18	नाशपाती ग्राफटेड / बडेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
19	अंगूर ग्राफटेड / बडेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
20	स्ट्राबेरी पौधा	पौधा बीमारी रहित, पौधे लगभग 4 इंच होना चाहिये । ट्रे अथवा पॉलीथिन बैग मे होना आवश्यक है। पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 3 x 4 इंच होना चाहिये ।

3. बीजू पौधें (फल पौध / वानिकी / शोभायमान)

01.	करौंदा बीजू	बीमारी रहित बीजू पौधा मान्य है । पौधे की न्यूनतम 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है ।
02.	सीताफल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
03.	नीबू बीजू	पोधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । पॉलीथीन होने की दशा में पॉलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
04.	अमरूद बीजू	पोधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
05.	बांस बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
06.	सागौन बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7इंच होना चाहिये ।
07.	बबूल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
08.	अमलतास बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
09.	यूकेलिप्टस बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
10.	करंज बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
11.	गुलमोहर बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
12.	नीम बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
13.	सुरजना बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
14.	ईमली बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना

		चाहिये ।
15.	कटहल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
16.	जामुन बीजू	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5 x 7 इंच होना चाहिये ।
17.	पपीता बीजू एवं श्रेष्ठ बीज, हायब्रिड	पौधा बीमारी रहित 1 से 2 फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।
18.	शीशम बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 5X7 इंच होना चाहिये ।

परिशिष्ट 5

ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में

1. फल पौध बीजू एवं कलमी

नर्सरी धारक जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :–

(अ) ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू है में स्थित नर्सरियों का नर्सरी एक्ट अथवा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा स्टार रेटेड नर्सरी के वैध पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। नर्सरी के वैध पंजीयन नहीं होने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ब) आफरकर्ता द्वारा एक से अधिक नर्सरियों से फल पौध प्रदाय किये जाने की दशा में सभी नर्सरियों के पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति।

(स) आयकर विभाग में पंजीयन PAN होना आवश्यक है।

(द) आफरकर्ता द्वारा जिन पौधों के दर आफर किये जा रहे है ऐसे पौधों के पर्याप्त संख्या में मातृवृक्ष ऑफरकर्ता की पंजीकृत नर्सरी में होना आवश्यक है।

(इ) आफरकर्ता द्वारा जिन पौधों की दरें प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी न्यूनतम पौधों की सख्या 25,000 नर्सरी में उपलब्ध होना आवश्यक है।

(फ) ऑफरकर्ता को उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अपलोड करना होगा।

परिशिष्ट 6

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर पौधों फल पौधों (उच्च मूल्य, ग्राफटेड एवं बीजू) प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा जिन फल पौधों (उच्च मूल्य, ग्राफटेड एवं बीजू) के प्रदाय हेतु हमारी दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न है को आर.सी.ओ. की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

परिशिष्ट कं. 6 (अ)

:: अनुबंध का परिशिष्ट ::

प्रदायक का नाम एवं पता ....
.... फोन
नम्बर .... ई–मेल .....
....मोबाईल नं. . ...

क्र0	पौधों का नाम	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति नग सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित संबंधित उद्यानिकी विभाग के अधिकारी द्वारा चयनित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

परिशिष्ट–7

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से कलमी एवं बीजू पौधे के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार .... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ..../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ..../– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

परिशिष्ठ कमांक 8

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer/ Firm	
2	Complete Postal address of the individual Offerer/Firm	
3	PHONE NO.	Office : Mobile :
4	E mail address	
5	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date_______________
6	GST Registration number (if applicable)	
7	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
8	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. IFSC Code Bank Account No
9	State whether Producer / Distributor / Dealer.	
10	Startup / M.S.M.E Registration	Registration No.:.. Date of issue..
11	Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.	
12	Do you have any associate company(s)?	
	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Email, etc	

Signature of Offerer

वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)

01. NAME OF THE OFFERER .... परिशिष्ट कमांक 9

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Exotic/Asthaniye Fruit Plant**								
	Orange Grafted in Bundle (Nagpuri/Kinno)								
	Orange Grafted in Polythene (Nagpuri/Kinno)								
	Orange Budded in Bundle (Nagpuri/Kinno)								
	Orange Budded in Polythene (Nagpuri/Kinno)								
	Masumbi Grafted in Bundle (Newseller, Puna)								
	Masumbi Grafted in Polythene (Newseller, Puna)								
	Masumbi Budded in Bundle (Newseller, Puna)								
	Masumbi Budded in Bundle (Newseller, Puna)								
	Anar Gooti (Ganesh, Arakta, Bhagwa)								
	Cheeku Grafted (Kalipati, PKM-1, CO-1, CO-2, Cricket ball)								
	Ber Budded (Umran, Banarasi, Gola, Apple)								
	Lemon Gooti (Kagazi, Seedless)								
	Lemon Budded (Kagazi, Seedless)								
	Grapes Gooti (Pusa Seedless, Thomson Seedless, Ganesh, Champion, Black Grape)								
	Grapes Cutting (Pusa Seedless, Thomson Seedless, Ganesh, Champion, Black Grape)								
	Grapes Grafted								
	Grapes Budded								

	Awla Grafted (Kanchan, Chikaiya, Narendra series, Krishna)								
	Awla Budded (Kanchan, Chikaiya, Narendra series, Krishna)								
	Mango Grafted (Dussehra, Lagra, Chosa, Amrpali, Mallika, Bombay Green, Kesar, Himsagar)								
	Amrud Grafted (L-49, Allahbadi Safeda, Lalit, Sweta, Sardar, Thai Guava)								
	Sitafal Grafted (Balanagar)								
	Kathal Grafted (Rudraksh)								
	Kaju (B-4. B-7)								
	Anjeer cutting								
	Dragon Fruit cutting- white								
	Dragon Fruit cutting- red								
	Passon fruit cutting								
	Karonda								
	Hanuman Fal Grafted								
	Bel								
	Strawberry Plant 9" to 112"								
	Strawberry Cutting								
	Naspati Grafted								
	Nashpati Budded								
	Avacado								
B	Plants Grafted								
	Mango(Aam)			No					
	Mango(Aam) Grafted by Inarching			No					
	Aonla budded			No					
	Guava (Amrood) Grafted			No					
	Guava (Amrood) Budded								
	Guava (Amrood) Grafted by Inarching method			No					
	Orange (Santara) Budded in bandal			No					
	Orange (Santara) Budded in Polythene			No					

	Mausambi Budded in bundle			No					
	Mausambi Budded in Polythene			No					
	Strawberry plant in polythene bag 9'' to 112''			No					
	Strawberry plant without polythene bag			No					
	Lemon (Nimbu) Gooti(layered)			No					
	Ber Budded			No					
	Pomegranet(Anar) Gooti			No					
	Pomegranet(Anar) Cutting								
	Grape (Angoor) Cutting			No					
	Grape (Angoor) Gooti								
	Anjir Gooti			No					
	Anjir Cutting								
	Dragon fruit Gooti			No					
	Dragon fruit Cutting								
	Passion fruit (Krishna phal)Gooti			No					
	Passion fruit (Krishna phal) Cutting								
	Karonda Gooti			No					
	Karonda Cutting								
	Bale Goot			No					
	Bale Cutting								
	Hanuman FruitGrafted by inarching			No					
	Chikoo Graftedby inarching			No					
	Sitaphal			No					

	Jack Fruit (Kathal)			No				
	Cashewnut Kaaju			No				
	Karaunda			No				
	Seetaphal			No				
	Nimboo			No				
	Amrud			No				
	Baans			No				
	Sagaun			No				
	Babool			No				
	Amaltas			No				
	Ucaliptis			No				
	Karanj			No				
	Gulmohar			No				
	Neem			No				
	Surjana			No				
	Imali			No				
	Kathal			No				
	Jaamun			No				
	Papita			No				
	Sheesham			No				
	Surjana hybrid			No				
C	बीजू पौधें							
	Mango(Aam)							

	Mango(Aam)								
	Aonla								
	Guava (Amrood)								
	Guava (Amrood)								
	Guava (Amrood)								
	Orange (Santara) in bandal								
	Orange (Santara) in Polythene								
	Mausambi in bundle								
	Mausambi in Polythene								
	Strawberry plant in polythene bag 9'' to 112''								
	Strawberry plant without polythene bag								
	Lemon (Nimbu)								
	Ber								
	Pomegranet(Anar)								
	Pomegranet(Anar)								
	Grape (Angoor)								
	Grape (Angoor)								
	Anjir								
	Anjir								
	Dragon fruit								
	Dragon fruit								
	Passion fruit (Krishna phal)								
	Passion fruit (Krishna phal)								

	Karonda							
	Karonda							
	Bale							
	Bale							
	Hanuman Fruit							
	Chikoo							
	Sitaphal							
	Jack Fruit (Kathal)							
	Cashewnut Kaaju							
	Karaunda							
	Seetaphal							
	Nimboo							
	Amrud							
	Baans							
	Sagaun							
	Babool							
	Amaltas							
	Ucaliptis							
	Karanj							
	Gulmohar							
	Neem							
	Surjana							
	Imali							

	Kathal								
	Jaamun								
	Papita								
	Sheesham								
	Surjana hybrid								

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

AUTHORITY LETTER FOR AUTHORIZED SIGNATORY
(ON OFFERER'S LETTER HEAD)

I/We ____undersigned in the capacity of Propietor / Board of Director / Partner of the firm M/s ____having office at........................... .... hereby authorise Shri ....Designation.....................................(Aadhaar No ....) to signed all the required document regarding submission of E-tender and agreement on behalf of the firm/ company.

Name, Signature and Seal
of person authorise to sign

Name, Signature and Seal
of Propietor /Board of Director /Partner

Seal of the firm

Note :

- *To be submitted in original.*
- *In Case of Pvt Ltd Company it should be supported with board resolution. In other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner.*
- *It should be supported with copy of Aadhar Number duly signed by the person signing the Documents*